

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल।

विषय:- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं शान्ति देवी अथवा पंडित स्व. प्रकाश पंडित या पंडितग्राम चारुडीह पो करमा थाना कोडरमाजिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा पुरी
2. थाना कोडरमा
3. थाना नं० 267
4. खाता नं० 20
5. प्लॉट नं० 1525 रकवा 06 आ बिक्री रकवा 04 आ
6. रकवा 06 आ भू रकवा 04 आ
7. भूमि का किस्म रकवा
8. अद्यतन रसिद नं० RECEIPT No. = 058963264
9. दा० खारजि वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

1739  
01/10/22

(K)

विश्वासभाजन

मा० शान्ति

मनोज पंडित

प्रकाश पंडित

8092692084

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा


भूमि सत्यापन अभिलेख सं० 271/2022

05-11-2022 आवेदिका मसौ० शान्ति देवी पति स्व० डेगलाल पंडित, मनोज पंडित एवं प्रकाश पंडित दोनों के पिता स्व० झरी पंडित, साकिन-चाराडीह, पोस्ट-करमा, थाना-जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
पूतो	267	20	1525	04 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 12/11/2022 को प्रस्तुत करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा

12-11-2022 अभिलेख उपस्थापित।

17-11-2022 आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-पूतो, थाना नं०-267, खाता सं०-20, प्लॉट सं०- 1525, रकवा-06 डी० प्लॉट सं०-326, रकवा-26 डी० कुल रकवा-32 डी० भूमि झरी कुम्हार पिता गुजर कुम्हार के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-192 भाग सं०-01 पर जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-6355 दिनांक-03.05.1969 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष- 2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-24 दिनांक-19.09.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-पूतो, थाना नं०-267, खाता सं०-20, प्लॉट सं०- 1525, रकवा-04 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-पूतो, थाना नं०-267, खाता सं०-20, प्लॉट सं०- 1525, रकवा-04 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा